



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-69

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261501 दिनांक 13/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Prem Devi W/o Rajesh	उषा अग्रवाल पत्नी श्री बिट्ठल दास अग्रवाल जरिये मु.आम श्री ललित कुमार शर्मा	31	216.84 SQ. YARD	Private	PRIM PROVINCE Sector/Block- C	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना प्रिम प्रोविन्स के भूखण्ड संख्या सी-31 क्षेत्रफल 216.84 वर्ग गज की लीजडीड उषा अग्रवाल पत्नी श्री बिट्ठल दास अग्रवाल जरिये मु.आम श्री ललित कुमार शर्मा के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात डी-3883 दिनांक 3.10.2025 को संशोधित लीजडीड जारी की गयी है। तत्पश्चात उषा अग्रवाल द्वारा दुबई द्वारा पावर ऑफ अटोर्नी श्री राकेश तिवाडी पुत्र श्री हरि शंकर तिवाडी को नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात श्री राकेश तिवाडी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2025 के द्वारा श्रीमती प्रेम देवी पत्नी राजेश को कर दिया गया। आवेदिका श्रीमती प्रेम देवी द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
---	-------------------------	---	----	--------------------	---------	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Prem Devi W/o Rajesh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |